न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 10/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/10)

गुलाम हुसैन पुत्र श्री गुलाम कादिर जाति कायमखानी निवासी भटटा कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. हनीफ मौहम्मद पुत्र रहमत बानो पत्नि कासम अली जाति कायमखानी निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. लाल मोहम्मद पुत्र रहमत बानो पत्नि कासम अली जाति कायमखानी निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
3. नवाब खां पुत्र रहमत बानो पत्नि कासम अली जाति कायमखानी निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
4. मोहम्मद हुसैन पुत्र रहमत बानो पत्नि कासम अली जाति कायमखानी निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
5. ताज बानो पुत्री रहमत बानो पत्नि कासम अली जाति कायमखानी निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
6. इस्मायल खान पुत्र रहमत बानो पत्नि कासम अली जाति कायमखानी निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
7. अख्तर बानो पुत्री रहमत बानो पत्नि कासम अली जाति कायमखानी निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
8. स्टेट जरिये तहसीलदार हनुमानगढ।

रेस्पोर्डेंट्स

उपस्थितः
1.श्री प्रहलाद जाखड़ – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 7
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 18.03.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 30.12.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट गुलाम हुसैन ने तहसीलदार हनुमानगढ के संमक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी की भुआ **श्रीमती** रहमत पुत्री श्री दीन मोहम्मद के नाम चक 14 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ की जमा बन्दी सम्वत् 2074–2077 खतौनी सं. 137/132 के पत्थर नं. 113/227 मु. नं. 31 किला नं. 24, 25/1, 25/2, पत्थर नं. 113/228 मुरब्बा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नं. 38 किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 24, 25 पत्थर नं. 114/227 मु. नं. 32 किला नं. 18, 19, 20, 21, पत्थर नं. 114/228 मु. नं. 37 किला नं. 21 कुल किता 14 तादादी 2.783 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है। भुआ रहमत ने अपने जीवन काल में उक्त जमीन के सम्बन्ध में एक वसीयत प्रार्थी के हक में निष्पादित करवाई हुई है। रहमत का स्वर्गवास दिनांक 22.07.2016 को हो चुका है। अतः वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का इन्तकाल प्रार्थी के नाम से अमल दरामद किया जावे। जिस पर तहसीलदार हनुमानगढ ने अपीलान्ट गुलाम हुसैन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 28.03.2022 द्वारा पटवारी हल्का को वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये। निर्णय दिनांक 28.03.2022 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 हनीफ मोहम्मद ने रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनाक 28.03.2022 व उक्त आदेश की पालना में हुए नामान्तरण को खारिज करते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.12.2022 द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 28.03.2022 एवं उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं. 1096 दिनांक 04.05.2022 को निरस्त कर मृतका रहमत के जायज वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये । निर्णय दिनांक 30.12.2022 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि चक एल एल डब्बलू के पत्थर नं. 113/227 मुरब्बा नं. 24 किला नं. 25/1, 25/2 पत्थर नं. 113/228 मुरबा नं. 38 किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 24, 25 पत्थर नं. 114/227 मुरब्बा नं. 32 किला नं. 18 ता 21, व पत्थर नं. 114/228 मुरब्बा नं. 37 किला नं. 21 कुल तादादी 2.783 हैक्टेयर रहमत पुत्री दीन मोहम्मद की स्वःअर्जित खातेदारी भूमि थी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिसकी वसीयत रहमत के द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपीलान्ट के पक्ष में करवाई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपना कर आपत्ति हेतु दैनिक अखबार मे आम सूचना प्रकाशित किया तथा रिपोर्ट पटवारी अनुसार कोई स्थगन/विवाद नही होने पर रकबा अपीलान्ट के नाम से दर्ज करने के आदेश अदालात मातहत ने दिनांक 28.03.2022 को पारित कर दिया था। उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट हनीफ मोहम्मद ने मियाद बाहर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपनी माता का स्वर्गवास सन् 2016 में हो जाने के बावजूद विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करना यह दर्शाता है कि उक्त रकबा रहमत को उसके पिता के द्वारा ही दिया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र एरर एप्रेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिर्कोड की परिधी में नही आता है, यदि रेस्पोडेन्ट आदेश दिनांक 28.03.2022 से व्यथित था तो उसे उस आदेश दिनांक 28.03.2022 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जो रेस्पोडेन्ट के द्वारा नही की गई और बेक डोर एन्ट्री के द्वारा कानून के विपरीत जाकर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कानूनन प्रस्तुत ही नही किया जा सकता था। रिव्यू प्रार्थना पत्र के ग्राउन्ड बहुत की सिमित है। रिव्यू प्रार्थना पत्र की आड़ मे रेस्पोडेन्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2022 पारित करवा लिया जो कतई गलत एव गैर कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2022 निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1977 पेज 52, RBJ (13) 2006 पेज 235, RRD 2009 पेज 522,, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2022 को पारित करते समय वसीयत का कोई अवलोकन नही किया गया। रहमत पुत्री दीन मोहम्मद की वसीयत में स्पष्ट अंकित है कि हनुमानगढ जंक्शन भट्टा कॉलोनी में स्थित भूखण्ड व मकान तथा अपने पिता के नाम से जो भी हिस्सा की चल अचल सम्पति अपने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सगे भतीजे गुलाम हुसैन को देना चाहती हू, उक्त मेरे पिता दीन मोहम्मद के नाम की सम्पति का मेरा भतीजा अकेला मालिक होगा। दिनांक 28.03.2022 को पारित आदेश में जिस भूमि का नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये है उक्त भूमि रहमत को अपने पिता दीन मोहम्मद से प्राप्त नही हुई थी वो उसकी स्वय की भूमि थी, जिस बाबत कोई वसीयत नही की गई थी अधीनस्थ न्यायालय की वसीयत पत्रावली में सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस व सूचना दी गई, केवल स्थानीय अखबार में नोटिस साया करवाकर आदेश पारित कर दिया। गुलाम हुसैन को मालूम था कि रहमत के बाकी वारिसान गांव बजरांगसर तहसील सरदारशहर मे निवास करते है, हनूमानगढ मे छपने वाला अखबार वहा नही जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2022 को पारित आदेश उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो एरर एप्रेन्ट ऑन द फेस ऑफ रिर्कोड की परिधी में आता है जो रिव्यु किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थना पर पारित आदेश दिनांक 30.12.2022 विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 30.12.2022 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2022 को निरस्त करने एवं आदेश दिनांक 28.03.2022 को यथावत रखने का अर्ज किया गया है। गुलाम हुसैन द्वारा दिनांक 02.09.2002 को रहमत पुत्री दीन मोहम्मद द्वारा नोटेरी हनुमानगढ के समक्ष वसीयत निष्पादित होना व दिनांक 22.07.2016 को वसीयतकर्ता की मृत्यु होना प्रतिवेदित किया गया है। वर्ष 2016 में वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने के 6 वर्ष बाद 2022 में वसीयत अनुसार नामान्तकरण हेतु तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.03.2022 में रहमत के वारिसान/हितबद्व लोगो की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जांच नही किया जाना व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया जाना पाया है। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 28.03.2022 मे भूमि के पुश्तैनी/स्वअर्जित होने का विवेचन भी नही किया गया है। साथ ही अपंजीबद्ध व केवल नोटेरी सत्यापित वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा वैध घोषित किया जाना भी नही पाया गया है। उक्त तथ्यो के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2022 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2022 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर